रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.S.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 1985/अग्रहायण 8, 1907
No. 564] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 1985/AGRAHAYANA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली 29 नवम्बर 1985

का आ 805(अ) —विकास परिषद् (कार्यविधिक) नियमावली, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भूतपूर्व भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या का आ 504 (ई) दिनांक 13 जुलाई, 1984, का आ संख्या 455 (ई) दिनांक 15 जून, 1984 और का आ संख्या 751 (ई) दिनांक

4 सितम्बर, 1984 में अधिसूचित मशीनी औजारों के लिए, मोटरगाड़ी तथा सम्बद्ध उद्योगो के लिए और भारी वैद्युत तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषदो की संरचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाए ।

उक्त आदेश में क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

सचिव औद्योगिक विकास विभाग उद्योग मंत्रालय	अध्यक्ष

फा सं 19-8/83 एम टी I
शमभन काननगो संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th November 1985

S.O. 865(E).—In exercise of powers conferred by Section 9 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby direct that the following amendments be made in the composition of the Development Councils for Machine Tools for Automobiles and Allied Industries, and for Heavy Electrical and Allied Industries, notified in the erstwhile Department of Heavy Industry's Order Nos. S.O. 501(E dated the 13th July, 1984, S.O. 455(E) dated 15th June, 1984 and S.O 751(E) dated the 11th September, 1984

In the said orders, for the entry occurring against S No 1 the following will be substituted namely —

Secretary, Department of Industrial Development Ministry of Industry	Chairman

[F. No. 19-8/83-MTI]
S KANUNGO, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1985